शब्द-ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 दिसम्बर 2015
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

लैंगिक असमानता: समस्याएँ एवं समाधान

प्रो.बनवारी लाल जैन
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
शिक्षा विभाग,
जैन विश्व भारती संस्थान
लाडनूं, राजस्थान, भारत

शोध संक्षेप

पशु, पक्षी आदिम समाज, पिछड़े हुए समाज में असमानताएँ कम होती हैं। शिक्षित, उच्च स्तर के समाज में असमानताएं भेदभाव मिलेगा ही। असमानताओं से ही समाज, सृष्टि का विकास हुआ है। स्त्री-पुरूष, दिन-रात, सुबह-शाम, पूर्व-पश्चिम, शुभ-अशुभ, पक्ष-विपक्ष आदि विपरीत व असमान स्थिति से ही सृष्टि का विकास हुआ है। व्यक्ति की बौद्धिक शारीरिक संरचना, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति ही समान नहीं है फिर कैसे अन्य असमानता को समान किया जा सकता है। सामाजिक जीवन के स्थायित्व, प्रकार्यात्मक हेतु समानताओं और असमानताओं में संतुलन आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल साक्षरता 74.40 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता 82.14 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत है। देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल (93.91 प्रतिशत) व न्यनूतम साक्षरता वाला राज्य बिहार (63.82 प्रतिशत) है। सर्वाधिक पुरूष साक्षरता वाला राज्य केरल (96.02 प्रतिशत) व महिला साक्षरता वाला राज्य केरल (91.98 प्रतिशत), न्यूनतम पुरूष साक्षरता वाला राज्य बिहार (73.39 प्रतिशत) व न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य राजस्थान (52.66 प्रतिशत) है। साक्षरता के ये आँकड़े देश की वस्तु स्थिति का अवलोकन है।

ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात

जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात 947 व नगरीय लिंगानुपात 926 कुल लिंगानुपात 940 है। इससे यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात की स्थिति कम हो रही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल (1084) व न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा (877)। भारत का सकल लिंगानुपात 2001 में 933 था जो 2011 में 940 हो गया।

पशु, पक्षी आदिम समाज, पिछड़े हुए समाज में असमानताएँ कम होती है। शिक्षित, उच्च स्तर के समाज में असमानताएं भेदभाव मिलेगा ही। असमानताओं से ही समाज, सृष्टि का विकास हुआ है। स्त्री-पुरूष, दिन-रात, सुबह-शाम, पूर्व-पश्चिम, शुभ-अशुभ, पक्ष-विपक्ष आदि विपरीत व असमान स्थिति से ही सृष्टि का विकास हुआ है। व्यक्ति की बौद्धिक शारीरिक संरचना, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति ही समान नहीं है फिर कैसे अन्य असमानता को समान किया जा सकता है। सामाजिक जीवन के स्थायित्व, प्रकार्यात्मक हेतु असमानताएं आवश्यक है।

लैंगिक (जेण्डर) मुद्दा

विश्व के सभी देशों में स्त्री व पुरूष की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति में भिन्नता परिलक्षित होती है। जैवकीय दृष्टि से तो स्त्री-पुरूष में भिन्नता प्राकृतिक है लेकिन सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से जो भिन्नता दिखाई देती है, वह समाज द्वारा की गई है। अतः सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से उनमें जमीन व आकाश की भाँति भिन्नताएँ न हो। अन्यथा विकास का क्रम असंतुलन में होने की संभावना फलीभूत हो जायेगी। स्त्रियों का मुद्दा 19वीं शताब्दी में उभर कर आया। धीर-धीरे समाज में यह मुद्दा जेण्डर का बन गया। वर्तमान में यह मुद्दा व्यापक रूप में आ गया।

शारीरिक संरचना तो स्त्री व पुरूष की प्रारम्भ से ही भिन्न रही है। यह शारीरिक भिन्नता सार्वभौमिक व सार्वकालिक है। इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता चाहे समलैंगिक विवाह हो या विषमलैंगिक या लिव इन रिलेशनशिप में रहे। इस भिन्नता के आधार पर हम भेदभाव करेंगे तो दुर्गति को ही प्राप्त करेंगे। आज यह भेदभाव विस्तृत रूप में उभरकर सामने आ रहा है। इसलिए स्त्रियों को कमजोर समझकर उसका अपमान, दुर्व्यवहार, बदतमीजी, हिंसा, बलात्कार, शोषण, अन्याय, प्रताड़ना, डांटना, फटकारना, यौनपीड़ा, दहेज हत्या आदि किया जाने लगा है।

नारी की महत्ता

स्वामी विवेकानन्द ने कहा हैं कि ‘‘भारत में नारी पहले माँ व फिर पत्नी के रूप में जानी जाती है जबकि विदेश में नारी पहले पत्नी और फिर माँ के रूप में जानी जाती है। यह बुनियादी अन्तर है।’’ कहावत है कि जब नारी में पुरूष के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा कहलाती है तथा पुरूष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महापुरूष कहलाता है।

नारी में ममता, स्नेह, वात्सल्य, त्याग, दया, करूणा व समर्पण के गुण पाये जाते हैं इसलिए वह आदरणीय है ।

स्त्री में सकार की मात्रा अधिक पायी जाती है यथा - सहनशीलता, सहिष्णुता, संतोष, सहानुभूति, सुकुमारता, समर्पण, समन्वय, सहजता, शालीनता आदि इसलिए वह साकारमूर्ति के समान है। मनुष्य समाज दो भागों में बँटा है - नर व नारी। यह सृष्टि का एक पहिया है। यदि पहिये में एक बड़ा व एक छोटा पहिया होगा तो गाड़ी के उस पहिये की क्या स्थिति होगी। अर्थात् वह ठीक से चल नही पायेगा। किसी कार में यदि एक बस का व एक स्कूटर का पहिया लगाने पर उस कार की स्थिति विचित्र व हास्यपद होगी। वैसे ही सृष्टि के इस चक्र में असमानता पैदा की तो उसके परिणाम हमें भुगतने होंगे।

नारी आत्मबल चरित्रवान व तपबल के कारण पूज्यनीय है। वह सुबह का भोजन शाम को स्वयं खाती है। भोजन सभी को खिलाने के बाद खाती है। भोजन थोड़ा बचा है तो उसमें ही संतुष्टि कर लेती है। अतिथि के आने पर सर्वप्रथम वह स्वागत करती है। अतिथि को पानी पिलाना, ठंडा या गरम पिलाना, नाश्ता कराना, भोजन कराना आदि वह स्वयं करती है। वह कितनी भी थकी हुई हो या अस्वस्थ होने पर भी अतिथि का मान-सम्मान करती है। नारी अपने रूप रंग से तो बोलती है लेकिन उसके षिष्ट, इष्ट व मिष्ट भाषा से उसका अंग-अंग भी बोलता है। नारी में सीता की पवित्रता, सरस्वती की जैसी विद्या, लक्ष्मी की जैसी ऐष्वर्यता, दुर्गा की जैसी शक्ति व लक्ष्मी बाई की वीरता है।

प्राचीन भारत में महिलाओं का गौरवपूर्ण स्थान "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः" जहाँ पर नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है।

"जननी जन्म भूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी।" अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक गरिमामय है।

राष्ट्रकवि मौथिली शरणगुप्त को कहना पड़ा कि -

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी"

संविधान में भी संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व देते हुए लिखा है कि "एक पुरूष को शिक्षित करने से अधिक उचित एक महिला को शिक्षित करना बेहतर है क्योंकि एक महिला के शिक्षित होने का अर्थ पूरे परिवार को शिक्षित करना है।"

लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी

स्त्री-पुरूष की संख्या का समीकरण बहुत बिगड़ रहा है। जिससे लैंगिक अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होती जायेगी। कन्याएं बाजार में वस्तुएँ की भाँति बिकने लगेगी। अभी तो लड़के वाले ही लड़कियों की शादी का खर्चा उठाकर अपने लड़कों की शादी कर रहे हैं। जिस समाज में लड़कियाँ कम हो गई है वहाँ शनैः शनैः यह अपराधों की श्रेणी में बढ़ता चला जायेगा।

स्त्रियों को शक्ति अथवा प्रभुता से निम्न समझना

पुरूष प्रधानता के कारण स्त्रियों को घर के काम सबसे अधिक करने पड़ेंगे, गलत कार्य होने पर भी बड़ों को प्रत्युत्तर नहीं देगी, पर्दे में रहेगी, अधिक काम करने पर भी समाज में उचित स्थान नहीं, विकास परक कार्य में पुरूष से कम लाभ, शादी, विवाह आदि में दहेज के रूप में रुपये मांगना, पति के मरने पर असमानता या दुर्व्यवहार करना। सामाजिक-सांस्कृतिक एवं व्यवहार की असमानता का शिकार स्त्रियाँ है। उनके प्रति लैंगिक संवेदनशीलता नहीं है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

स्त्रियों के लिए मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करना, शोषण करना, पीटना, दुर्व्यवहार करना, अपहरण करना, यातानाएँ देना, समान अधिकारों से वंचित करना, भ्रूण हत्या के लिए विवश करना, वेश्यावृत्ति करवाना, दहेज के लिए यातनाएँ देना, कामकाजी महिलाओं को पर पुरूष से वार्ता करने पर संदेह में देखना। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर देश में प्रत्येक 47 मिनट में बलात्कार होता है। प्रत्येक 44 मिनट में अपरहरण होता है। प्रतिदिन औसतन 17 दहेज सम्बन्धी हत्याएँ होती है (दुबे: 1988: 18)

स्त्रियों के प्रति हिंसा के प्रकार

1. आपराधिक (बलात्कार, अपहरण, हत्या)
2. पारिवारिक (दहेज के लिए यातना, पत्नी की पिटाई, वृद्ध माँ से दुर्वचन)
3. सामाजिक (भ्रूण हत्या के लिए विवश, सती होने के लिए बाध्य, सम्पत्ति अधिकार से वंचित।

पाश्चात्य सभ्यता से महिलाओं के सोच में बदलाव आया है। जो विदेशों में हो रहा है उसे अपना रही है। छोटी-छोटी बातों में तलाक लेना, एक-दूसरे को छोड़ कर जाना, कम से कम बच्चे पैदा करना अथवा न करना आदि बढ़ रहा है। आज विदेशी महिला की तरह स्वच्छन्द रखने का प्रयास कर रही है। स्त्री को प्रजनन से विमुख करना, प्रकृति से विमुख करना है।

अतः पाश्चात्य व भारतीय महिलाओं में काफी असमानता है। हम उनके उन कार्यों को अपनाते हैं जो लैंगिक असमानता को ओर बढ़ावा देती है। हमें उन कार्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए जो

शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 दिसम्बर 2015
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

लैंगिक असमानता का अभिवर्द्धन करती है। इस हेतु भारतीय व पाष्चात्य महिलाओं के असमानता के बिन्दुओं को दृष्टिगोचर किया जाये तथा समस्याएँ फैलाने वाले बिन्दुओं को अपनी जीवन शैली में नहीं अपनायें।

भारतीय व पाश्चात्य महिलाओं में असमानता

भारतीय महिला	पाश्चात्य महिला
1. वस्तुओं की सीमितता	बुनियादी वस्तुओं की भरमार
2. तलाक व आत्महत्या बड़ा हादसा	तलाक व आत्महत्या आम बात है
3. सीमित बच्चे पैदा (2-3) करना	कम बच्चे पैदा करना या नहीं करना
4. सुहागिन बिंदी लगाती है	बिंदी नहीं लगाती
5. स्वच्छन्द का अभाव	पूर्ण स्वच्छन्द
6. पढ़ाई से सुसंस्कृत हुई है	पढ़ाई का अभिमान
7. महिलाओं का दोस्तों के साथ घूमने पर सामाजिक रोक	दोस्तों के साथ घूमना
8. जन्मजात इच्छाएँ (घर संचालन, प्रजनन आदि)	बुनियादी इच्छाएँ
9. सगाई बाद शादी	शादी बाद सगाई
10. मद्यपान, धूम्रपान की मान्यता नहीं	मद्यपान, धूम्रपान करना आम बात
11. सर ढकना, गहने पहनना, हाथ में चूड़ी, गले में मंगल सूत्र, माथे पर बिंदी	सभी चीजों का अभाव
12. साड़ी पहनना	बरमूड़ा व टी-शर्ट पहनना
13. सामाजिक मान्यता के अनुसार स्वतन्त्रता	स्वतन्त्रता व दुनियाबी मोहमाया को ज्यादा महत्व
14. श्रृंगार पति और पत्नी के आकर्षण के लिए करती है	नौकरी के लिए श्रृंगार, समाज में दिखावा
15. बाल मनोवैज्ञानिक महिलाओं (बालक की हर जानकारी)	तकनीकी महिलाएँ
16. स्त्री पुरूष से ज्यादा काम करती है	बराबर काम करती है।
17. नौकरीपेशा महिला का सम्मान घटा	नौकरीपेशा महिलाओं का सम्मान बढ़ा
18. स्तनपान	डिब्बा बंद दूध
19. सहयोगी	प्रतियोगी

समस्याएँ

1. लैंगिक भेदभाव
2. बाल विवाह
3. पुरूष प्रधान
4. पुरूष वंश को आगे बढ़ाना
5. कन्याओं को ग्रामीण क्षेत्र में षिक्षा नहीं
6. महिलाओं को दोयम दर्जे के कारण अधिकारो से वंचित
7. युवतियों का शोषण, बलात्कार, हिंसा आदि
8. लड़कियों को कमजोर मानना
9. विकारों से ग्रस्त (काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया)
10. निरक्षरता
11. सहशिक्षा की कमजोर स्थिति
12. गुणात्मक शिक्षा का गिरता स्तर
13. शिक्षा प्रणाली परीक्षोन्मुख होना
14. मृत्यु संख्या की असमानता
15. जन्म सम्बन्धी असमानता
16. प्राथमिक सुविधाओं में असमानता
17. स्त्रियों पर सामाजिक परम्पराएँ के द्वारा पाबंदी लगाना
18. समान अवसर की उपलब्धता का अभाव
19. व्यावसायिक कार्यो में असमानता
20. स्वामित्व पर आधारित असमानता
21. घर के कार्यो में असमानता (ग्रामीण स्त्रियां - खेल खलिहान, पशु, पानी लाना, खाना बनाना आदि करेगी)

शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 दिसम्बर 2015
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

22. बालिका की मृत्यु दर बढ़ना
23. कन्याभ्रूण हत्या (अल्ट्रासाउण्ड टेक्नोंलोजी का उपयोग)
24. शहरी क्षेत्र व शिक्षित वर्ग में असमानता अधिक
25. बालिकाओं की सामाजिक प्रस्थिति
26. वंश वृद्धि
27. बालिका को आर्थिक व नैतिकभार समझना
28. स्त्रियों को विज्ञापन व मीडिया से दूर रखा जाये
29. पितृ सत्तात्मक रीति रिवाज विभिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न
30. दोषपूर्ण व्यक्ति वाले मनोरोगी
31. शंकालू प्रवृत्ति के व्यक्ति
32. निराभाव हीन भवना से ग्रसित व्यक्ति
33. मद्यपान करने वाले व्यक्ति
34. महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझना
35. नारी के साथ जन्मजात, जातिगत, धर्म, राष्ट्रगत भेदभाव
36. सामाजिक अन्याय
37. देश व समाज निर्माण में अधिकाधिक भागीदारी
38. सृष्टिकर्ता की सुन्दरतम प्रतिमूर्ति के कारण अपमान

समाधान

1. वसुधैव कुटुम्बकम्
2. कार्यशाला
3. शिक्षा
4. महिला विकास तथा कल्याण कार्यक्रम
5. महिला शिक्षा को वित्तीय प्रोत्साहन
6. सहशिक्षा को बढ़ावा दिया जाये
7. व्यावसायिक प्रशिक्षण दिये जाये
8. औद्योगिक प्रशिक्षण
9. साक्षर महिला निरक्षर को साक्षर बनावें
10. पत्राचार पाठ्यक्रम से शिक्षा दी जाये
11. महिला सशक्तीकरण
12. सात वर्ष की आयु की साक्षरता दर बढ़ाना
13. महिलाओं की सोच में परिवर्तन
14. सुरक्षा एवं पुनर्वास
15. सस्ते व सहज न्यायालयों की व्यवस्था हो
16. घरेलू हिंसा रोकथाम
17. महिला विकास प्रकोष्ठ एवं महिला संगठनों की भूमिका
18. जनमत तैयार करना
19. शोषण, अत्याचार का ग्राफ घटाना
20. सभी महापुरूषों, राष्ट्रनायकों ने मुक्तकंठ से उन्नति का श्रेय महिला को दिया है
21. फेरों में आठवाँ वचन भ्रूण हत्या का भी हो।
22. महिलाओं का शैक्षिक स्तर बढ़ाया जाए।

निर्भय का व्यवहार हो

बालक कभी भी नहीं चाहता कि कठोर व्यवहार करने वाला उसका पिता घर में रहे, जिस पत्नी का पति घर में बदतमीजी या अधिकार जमाने वाला हो वह कभी नहीं चाहती कि उसका पति काम से जल्दी लौटे या घर में रहे। जिस मास्टर से बालक को भय लगता है, उसकी क्लास में छात्र बैठना पसन्द नहीं करते हैं, कोई भी पुलिस वाले के साथ रहना पसन्द नहीं करते। इसलिए स्त्री-पुरूष निर्भय होकर रहे।

शिष्टाचार की शालीनता स्त्रियों की तरह पुरूष में भी होनी चाहिए। अनीतिमान लोग जहाँ रहते है, जहाँ अधिक दुर्व्यवहार, बर्ताव होता है वहाँ ऊँची से ऊँची नैतिक शक्ति अर्थात् स्त्रियों को भेजा जाना चाहिये।

गिरे हुये लोगों में स्त्रियाँ ही नैतिक व चारित्रक गुण भर सकती है। स्त्रियों का पीठ बनाया जाये जहाँ नैतिकता का ह्यास होने पर रोकने हेतु

तुरन्त भेजे जाये क्योंकि वह अहिंसा के द्वारा यह सब कर सकती है। हिंसा के साधन पुरूष के पास है, उसके पास तो इन घटनाओं को रोकने में अहिंसक साधन है।

ग्रामीण महिला को तो ईंधन बीनना, बुवाई, कटाई करवाना, पशु चराना, आदि अनेक कार्य होते हैं। इनमें से कुछ कार्य में पुरूष का सहयोग होना चाहिए। निःसंदेह आर्थिक व तकनीकी विकास से स्त्री के परम्परागत कार्यों में काफी परिवर्तन हुआ है। स्त्री को अथक परिवर्तन से निजात पाने का अवसर मिला है। आज घर-घर में गैस के चूल्हें, बिजली व पानी की सुविधा, स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय की सुविधा इन सुविधाओं से महिलाओं को शारीरिक श्रम से छुटकारा मिला है और वह अपने मानसिक, बौद्धिक विकास करने में आगे आ रही हैं। अब वह कमाई करने निकल जाती है और दोहरी भूमिका अदा करने में मारी जाती है। गृह भूमिका में कोई कमी नहीं आई है और मानसिक बोझ बढ़ा है। स्त्री अपने स्वभावगत कार्य यथा प्रजनन एवं गृह संचालन को छोड़ नहीं पाती, न ही समाज उसे छोड़ने देगा। ऐसी स्थिति में सामन्जस्य बैठाकर अपना विकास करने का प्रयास करें।

स्त्री-पुरूष कार्य विभाजन में स्त्री के योगदान का उचित आदर करें। उनके विकास हेतु स्त्री सुलभ कार्य देकर उसकी निपुणता का लाभ ले, पिता की सम्पति में हिस्सा दिया जाये, दहेज की विकृतियों को दूर करें, प्रजनन की जन्मजात इच्छा से अवगत कराएँ, अटूट विवाह की मान्यता स्थापित करें, षिक्षा उपयोग नौकरी करने में दिया जाये, परिवारवर्धन कार्य स्वेच्छा से हो। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि ''जब तक महिलाए स्वयं अपने विकास के लिए आगे नहीं आयेगी तब तक उनका विकास असम्भव है।''

नारी की आर्थिक पराधीनता को दूर करने के लिए वह फैशन डिजाइन, सिलाई, टाइपिस्ट, लेखिका, अनुवादक, सम्पादिका, फोटोग्राफर, नृत्य सीखना, सजावट, संगीत, ढ़ोलक बजाना, चित्रकारी करना, बीमा एजेन्ट, कोचिंग आदि कार्य कर स्वावलंबी बन सकती है। उसे सहयोगी बनाना है, प्रतियोगी नहीं। पश्चिम की आत्मघाती प्रवृत्तियों का अन्धानुकरण नहीं कराना है, उसके पैर नहीं काटने हैं अपितु उसे मजबूत बनाना है ताकि सहयात्रा सुखद बन सके। स्त्री का उद्धार पुरूष नहीं कर सकता। वह तो उसे स्वयं ही करना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ

1.अग्निहोत्री, रवीन्द्र, 2007, आधुनिक भारतीय षिक्षा: समस्याएँ और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।

2.गुप्ता, एस.पी. 2005, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

3.ओड़, एल. के. 1977, शिक्षा के नूतन आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

4.धर्मवीर, 2007, परिवर्तन एवं विकास का समाज शास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

5.महाजन, संजीव 2014, सामाजिक समस्याएँ, अर्जुन पब्लिशिग हाऊस, 4831/24, प्रहलाद गली, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली 110002

6.वर्मा, एल.एन. 2013, भारत में शिक्षा के सामाजिक आधार, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।